उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांक: 797–E/ NCR / Policy/IREM-1
दिनांक : 23/06/2017

RBE No.52/2017
NCR PS No.5091/2017

समस्त विभागाध्यक्ष / उमरे / इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक / सा. मु.प्रशा. अधि / नि
मंडल रेल प्रबन्धक / कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन / आरआरसी / उत्तर मध्य रेलवे / इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक / झांसी, उप मु. अभि / सीपीओएच / इला., उप मु. अभि. / सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू / झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर / टीआरडी / झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा. अधि. / आईआरपीएमयू / नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी / ब्रिज / लाइन / इला. / झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन / ब्रिज लाईन / झांसी।
व.स.वि.स / कैश एवं पे / उमरे / इलाहाबाद।

Sub- Grant of Advances-Seventh Central Pay Commission Recommendations-Discontinuance of "Natural Calamity Allowance'

A copy of Railway Board's letter No E(P&A)I-2017/CPC/LE-3 dated 29.05.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

(V.P. Singh)
Sr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक / एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी / एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

भारत सरकार/**GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय/**MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड/**RAILWAY BOARD)**

RBL-2017-1110
6-6-17

RBE No.52 /2017

No.E(G) 2017/AD 1-1

New Delhi, dated 30.05.2017

(12)

N.C.R.

The General Managers & FA&CAOs,
All Indian Railways &
Production Units etc.
(as per standard mailing list)

Sub: **Grant of Advances – Seventh Central Pay Commission recommendations – Discontinuance of 'Natural Calamity Advance'.**

*****

The Seventh Central Pay Commission vide Para 9.1.4 had recommended that all the interest-free advances being granted to the Central Government employees should be abolished. The Government's decision in this regard has been conveyed by the Ministry of Finance vide their OM No.12(1)E.II(A)/2016 dated 07.10.2016. According to the instructions contained therein, the Natural Calamity Advance in addition to six other advances has been abolished.

2. The Government's decision in respect of abolition of advance of Natural Calamity Advance has been considered by the Ministry of Railways in consultation with Finance Directorate. It has been decided to abolish Natural Calamity advance w.e.f. 07.10.2016. The cases where the advances have already been sanctioned need not be reopened.

3. The provisions in respect of Natural Calamity Advance are contained in paras 1123 and 1123(A) of Indian Railway Establishment Manual (IREM), Volume-I. In view of the above, it is directed that paras 1123 and 1123(A) of IREM may be amended as in the enclosed Advance Correction Slip No.238.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Please acknowledge receipt.

DA: Correction Slip.

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
06 JUN 2017
महाप्रबन्धक सचिव

CPO
FA&CAO

6/6/2017

(D. Joseph)
Dy. Dir./E(G)III
Railway Board

CPO/A
DY. CPO/GAZ
DY. CPO/IR
DY. CPO/HQ
CHAIRMAN/RRC
SPO/HQ
SPO/IR
APO/IR

Contd...p/2

आरबीई सं. /2017

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.ई(जी)-2017/एडी1/1 नई दिल्ली, दिनांक30.05.2017

महाप्रबंधक, विस एवं मुलेधि,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय:- अग्रिम प्रदान करना- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें- 'प्राकृतिक आपदा अग्रिम' समाप्त करना.

******

सातवें केन्द्रीय आयोग ने पैरा 9.1.4 द्वारा सिफारिश की थी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे सभी ब्याज मुक्त अग्रिम समाप्त कर दिए जाए. इस संबंध में सरकार का निर्णय वित् मंत्रालय के का.ज्ञा. सं 12(1) ई॥(ए)/2016 दिनांक 07.10.2016 द्वारा संसूचित किया गया है. इसमें निहित अनुदेशों के अनुसार , प्राकृतिक आपदा अग्रिम के अलावा छः अन्य अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है.

2. प्राकृतिक आपदा अग्रिम की समाप्ति के संबंध में सरकार के निर्णय पर रेल मंत्रालय द्वारा वित्त निदेशालय के परामर्श से विचार किया गया है. दिनांक 07.10.2016 से प्राकृतिक आपदा अग्रिम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. वे मामले जिनमें अग्रिम पहले ही स्वीकृत कर दिए गए हैं फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है.

3. प्राकृतिक आपदा अग्रिम के संबंध में प्रावधान भारतीय रेल स्थापना संहिता नियमावली, जिल्द-1 के पैरा 1123 तथा 1123(ए) में है. उपर्युक्त को देखते हुए है निदेश दिया जाता है कि आई आर ई एम के पैरा 1123 और 1123(ए) में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 238 के अनुसार संशोधन किया जाए.